न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/214

1. राजरानी आयु 52 वर्ष पत्नी स्व0 गुलजार सिंह ।
2. सूरज कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र स्व0 गुलजार सिंह ।
3. कृष्ण कन्हैया आयु 19 वर्ष पुत्र स्व0 गजलार सिंह जाति जट सिख्ख निवासीगण सरदार का फार्म हाउस, सूरसागर थेकडा, कैथून रोड, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जगजीवन मुणोत आत्मज गढमल जैन जाति जैन ।
2. अरूण कुमार आत्मज जगजीवन मुणोत जाति जैन ।
3. जगजीवन मुणोत एण्ड सन्स, एच0यू0एफ0 कर्ता जगजीवन मुणोत ।
4. मनोज कुमार मुणोत आत्मज जगजीवन मुणोत जाति जैन निवासीगण 07 ए तलवन्डी, कोटा ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अतुल वशिष्ट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92ए एवं 88 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खात संख्या नया 51 में खसरा नम्बर 492 रकबा 0.06 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 937/491 रकबा 0.55 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.61 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज है तथा खाता संख्या नया 06 की खसरा नम्बर 495 रकबा 1.12 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 2 के खाते में दर्ज चली आ रही है । इसी प्रकार खाता संख्या नया 50 में खसरा नम्बर 491 रकबा

0.05 हैक्टर प्रतिवादी कम 3 के खाते में दर्ज चली आ रही है । तथा खाता संख्या नया 102 की खसरा नम्बर 494 की 0.04 हैक्टर गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 942/493 रकबा 0.89 हैक्टर कुल 02 किता की 0.93 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 04 के खाते में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 से 4 के खाते में दर्ज चली आ रही है परन्तु प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रहे हैं । वादग्रस्त आराजी मौके पर लगभग 22 बीघा है जिस पर वादीगण के पति व पिता पिछले 28–30 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये है। ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें उनके निवास में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें न ही उन्हें बेदखल करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद में सभी प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार बताकर वाद पेश किया है जबकि प्रतिवादीगण अलग–अलग खसरा नम्बरान के खातेदार काबिज काश्तकार हैं । इस प्रकार उक्त वाद मिस ज्योइन्डर ऑफ पार्टी के दोष से ग्रसित होने से वाद चलने योगय नहीं है । विधि अनुसार वादीगण को प्रत्येक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अलग–अलग वाद लाना चाहिए था । वादीगण द्वारा उक्त वाद कब्जा मुखालफाना के आधार पर पेश किया गया है जबकि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादीगण ने मद संख्या 14 में दिनांक 05.03.2017 को प्रतिवादी कम 1 से 3 द्वारा वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने व बेदखल कर फसल नष्ट करने की धमकी देने पर उत्पन्न होना अंकित किया है किन्तु उक्त वाद में प्रतिवादी कम 4 को भी पक्षकार बनाया है । प्रतिवादी कम 4 के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होने से प्रतिवादी कम 4 को बिना किसी कारण पक्षकार बनाया जाना प्रकट होता है । ऐसी स्थिति में उक्त वाद प्रतिवादी कम 4 के विरूद्ध खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.04.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कब्जे का प्रश्न तथ्यों व साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न है । अतः प्रथमदृष्टया ही अपीलान्ट वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता । अपीलान्टगण का उक्त भूमि पर पिछले 28–30 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है और वे उक्त भूमि के कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया था जो खारिज होने योग्य था और इसे स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया गया है । इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि कब्जे का प्रश्न तथ्यों व साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न होता है जो आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के साथ निर्णित नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट का इस आराजी पर 30–40 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है फिर भी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था जिसमें यह कथन किया था कि वादीगण के पिता एवं पति उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे हैं । कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण इस आराजी के खातेदार बन चुके हैं । वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण खातेदार एंव काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण पृथक–पृथक खातेदार हैं वादीगण ने उनको संयुक्त रूप से खातेदार बताते हुए दावा पेश किया है जो मिस ज्योइन्डर ऑफ पार्टी के दोष से ग्रसित होने से वाद चलने योग्य नहीं है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर दावा पेश किया है जबकि कब्जा मुखालफाना के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी विधि सम्मत रूप से स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2017 (1) पेज 111 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है जिसमें रेस्पोडेन्टगण की ओर से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे यह कथन किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज किया है ।

11. पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सवंत् 2070–73 के अनुसार नया खाता संख्या 51 में कुल 02 किता की आराजी रकबा 0.61 हैक्टर प्रतिवादी कम 1 जगजीवन के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुवार नया खाता संख्या 06 की आराजी प्रतिवादी कम 2 के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 50 की आराजी प्रतिवादी कम 3 के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार नया खाता संख्या 102 की आराजी प्रतिवादी कम 4 के खाते में दर्ज है । इस प्रकार चारों प्रतिवादीगण के खाते में आराजी पृथक–पृथक दर्ज है और इन समस्त प्रतिवादीगण के खिलाफ वादीगण ने एक ही दावा पेश किया जो मिस ज्योइन्डर ऑफ पार्टी के दोष से ग्रसित है ।

12. वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी हक घोषणा चाही है जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर वाद वादी दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नहीं है । डीएनजे 2017 (1) पेज 111 यहॉ चस्पा होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.7.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/214

1. राजरानी आयु 52 वर्ष पत्नी स्व0 गुलजार सिंह ।
2. सूरज कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र स्व0 गुलजार सिंह ।
3. कृष्ण कन्हैया आयु 19 वर्ष पुत्र स्व0 गजलार सिंह जाति जट सिख्ख निवासीगण सरदार का फार्म हाउस, सूरसागर थेकडा, कैथून रोड, कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. जगजीवन मुणोत आत्मज गढमल जैन जाति जैन ।
2. अरूण कुमार आत्मज जगजीवन मुणोत जाति जैन ।
3. जगजीवन मुणोत एण्ड सन्स, एच0यू0एफ0 कर्ता जगजीवन मुणोत ।
4. मनोज कुमार मुणोत आत्मज जगजीवन मुणोत जाति जैन निवासीगण 07 ए तलवन्डी, कोटा ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 18/दावा/2017

1. राजरानी आयु 52 वर्ष पत्नी स्व0 गुलजार सिंह ।
2. सूरज कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र स्व0 गुलजार सिंह ।
3. कृष्ण कन्हैया आयु 19 वर्ष पुत्र स्व0 गजलार सिंह जाति जट सिख्ख निवासीगण सरदार का फार्म हाउस, सूरसागर थेकडा, कैथून रोड, कोटा ।

——वादी

बनाम

1. जगजीवन मुणोत आत्मज गढमल जैन जाति जैन ।
2. अरूण कुमार आत्मज जगजीवन मुणोत जाति जैन ।
3. जगजीवन मुणोत एण्ड सन्स, एच0यू0एफ0 कर्ता जगजीवन मुणोत ।
4. मनोज कुमार मुणोत आत्मज जगजीवन मुणोत जाति जैन निवासीगण 07 ए तलवन्डी, कोटा ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 29.07.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अतुल वशिष्ट एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा